Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
Volume-17, Issue-3, December-2023
www.researchguru.net

दूरस्थ शिक्षा द्वारा सीखने का आधार

(Learning through Distance Education)

Dr. Hardik Shah
Department of Psychology, Government Arts College, Jhagadia, Bharuch Mobile no. 9638406296

सारांश-

प्रस्तुत समय मे शिक्षा यानि की दूरवर्ती शिक्षा के द्वारा भी अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकते है। खास कर के जिन लोगो की आयु बीत चुकी है अर्थात प्रोढ़ शिक्षा के लिए बहुत उपकारक साबित होती है । आधुनिक युग मे जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुये है उनके लिए नए विषयो का प्रशिक्षण और उनका ज्ञान विस्तार करने के लिए दूरस्थ शिक्षा बहुत उपयोगी साबित हो गयी है एसा मालूम पड़ता है।

चावीरूप शब्द *– पत्राचार शिक्षा, मुद्रित अनुदेशात्मक माध्यम और अमुद्रित अनुदेशात्मक माध्यम*

दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत दो प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है।मुद्रित अनुदेशात्मक मध्यम और अमुद्रित अनुदेशनात्मक माध्यम।मुद्रित अनुदेशनात्मक माध्यम ही पत्राचार शिक्षा के नाम से जाना जाता है।यह एक ऐसी प्रणाणी है,जिस में विद्यालय,विश्व विद्यालय और दूसरे शैक्षिक संगठन में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से डाक द्वारा अनुदेशन की सुविधा प्रदान की जाती है।इसे गृह अध्ययन,डाक द्वारा ट्यूशन अथवा पत्राचार प्रणाली द्वारा अधिगम भी कहा जाता है।यह प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत शिक्षा के एक बहुत विस्तृत पक्ष को प्रस्तुत करती है।इसके अंतर्गत अनुदेशन हेतु लिखित तथा मुद्रित सामग्री,उदाहरण और चित्रों आदि टेलीफोन तथा कंप्यूटर आदि का भी भरपूर उपयोग किया जा सकता है।पत्राचार शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण हेतु एक व्यवस्थित कार्यक्रम संचालित किया जाता है ।जिसके अंत में परीक्षा भी ली जाती है।विद्यार्थी और विद्यालय के मध्य पृष्ठ पोषण विधि पत्राचार पाठ्यक्रम में से प्रमुख हैं।समय और धन की दृष्टि से भी यह अत्यंत उपयोगी तथा कम धन का खर्च होता है

विद्यार्थीओ को सहयोग करने वाली दूरवर्ती शिक्षा का प्रबंधन।

पत्राचार शिक्षा का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है,जितना की डक सेवा का। शिक्षण से तात्पर्य केवल विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान कर देने मात्र से नही है । जब कोई माता पिता अपनी संतान को पत्र द्वारा सुझाव देते हैं अथवा दिशा निर्देशित करते हैं वह भी एक तरह से पत्राचार द्वारा शिक्षा देना ही होता है परंतु यहां इसका तात्पर्य मुख्य रूप से उस पत्राचार शिक्षा व्यवस्था से है,जिसका विकास एक माध्यम के रूप में हुआ और जो प्रमुख रूप से व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने साक्षरता का प्रसार करने और विभिन्न कोशलो तथा व्यवसाय से जुड़े अनेक व्यक्तियों के लिए नए विषयों का प्रशिक्षण तथा उनका विस्तार करने में लगी है। सन 1950 और 1960 के दशक में विशाल रूप मे पत्राचार विद्यालयों को सफलता मिली और उनमें आवश्यक परिवर्तन भी किए गए। प्रणाली आयाम और माध्यम आदि नए विकसित प्रत्ययओ पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा ।पेरिस 1969 में जो पत्राचार शिक्षा प्रकरण पर समेलन हुआ उसमे यूरोप और अमेरिका देशों के इस क्षेत्र में योगदान की समीक्षा की गई और उसका प्रकाशन भी किया गया।इस सम्मेलन की संस्तुति के परिणाम स्वरूप राष्टीय गृह अध्ययन परिषद की स्थापना की गई।पत्राचार शिक्षा के विकास के फलस्वरूप दूर वर्ती शिक्षा का विकास हुआ इसमें बहु माध्यमों का उपयोग किया जाता है।विश्व विद्यालय शिक्षा में एक नवीन आयाम का विकास हुआ।

जर्मनी में सन 1956 में फ्रेंचमैन चाल्स टोसेंट ने गस्ताव लैंगरसेट के सहयोग से पत्राचार द्वारा भाषा शिक्षण के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थॉमस जे फोस्टर ने अल्प संख्यक को सुरक्षा

संबंधी शिक्षा देने के लिए निर्देशन की एक पाठ्य सामग्री को तैयार किया।सन 1981में इसी पाठ्यक्रम ने स्रेक्टन के अंतरराष्ट्रीय पत्राचार विद्यालय की स्थापना में सहायता की ।

W, R हार्पर ने सन 1982 में शिकागो विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति बनने पर पत्राचार शिक्षा विभाग को स्थापना की।सन 1984 में इंग्लैंड में J, W, नाईप ने अध्यापक प्रशिक्षण में स्वयं पाठ्यक्रम तैयार किया । दूसरो की सहायता के लिए उन्होंने छह छात्र को प्रवेश दिया तथा उन्हें पत्राचार द्वारा पढ़ाया।सभी छात्रों ने सफलता प्राप्त की ।इस प्रथम प्रयास से प्रेरित होकर उन्होंने अगले वर्ष तीस छात्र को प्रवेश दिया।उनका यह निर्भीक साहसिक प्रयास ऑक्सफोर्ड के रूप में विकसित हुआ।भारत में पत्राचार शिक्षा का विकास। भारत में के। एल।श्रीमाली जो भारत के शिक्षा मंत्री थे उनके अथक प्रयासों से पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा को आरंभ किया गया।उन्होंने उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता को अनुभव किया ,परंतु भारत की आर्थिक स्थिति मांग अनुसार अनेक विद्यालय को खोलने की स्थिति नहीं थी।तब पत्राचार पाठ्यक्रम ने जो विदेशों में सफलता प्राप्त की थी ,एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में उनका ध्यान आकर्षित किया था।भारत सरकार ने पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु एक समिति का गठन किया तथा डी एस,कोठरी की निगरानी में सायांकालीन विद्यालय की 1961 में स्थापना की ।समिति का यह विचार था कि पत्राचार अनुदेशन एक लचीली प्रणाली है और इसे अकेले या अन्य शैक्षिक विधियों के मध्य व्यक्तिगत अंतक्रिया नही होती।समिति ने अनुभव किया की यदि पत्राचार शिक्षा की योजना को परिश्रम एवं कुशल अध्यापकों तथा शिक्षित प्रशासकों द्वारा समुचित रूप से चलाया जाए तो उसका स्तर बना रह सकता है।जिसकी वजह से दिल्ली विश्व विद्यालय ने जुलाई,1962 में बी, ए कक्षा हेतु एक अचानक योजना के रूप में पत्राचार पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया ।सन 1967 में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने दूसरे विश्व विद्यालय के निर्देशन हेतु पत्राचार भारत में पत्राचार शिक्षा का विकास।

भारत में के, एल श्रीमाली जो भारत के शिक्षा मंत्री थे उनके अथक प्रयासों से पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा को आरंभ किया गया।उन्होंने उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता को अनुभव किया ,परंतु भारत की आर्थिक स्थिति मांग अनुसार अनेक विद्यालय को खोलने की स्थिति नहीं थी।तब पत्राचार पाठ्यक्रम ने जो विदेशों में सफलता प्राप्त की थी ,एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में उनका ध्यान आकर्षित किया था।भारत सरकार ने पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु एक समिति का गठन किया तथा डी एस,कोठरी की निगरानी में सायांकालीन विद्यालय की 1961 में स्थापना की ।समिति का यह विचार था कि पत्राचार अनुदेशन एक लचीली प्रणाली है और इसे अकेले या अन्य शैक्षिक विधियों के मध्य व्यक्तिगत अंतक्रिया नही होती।समिति ने अनुभव किया की यदि पत्राचार शिक्षा की योजना को परिश्रम एवं कुशल अध्यापकों तथा शिक्षित प्रशासकों द्वारा समुचित रूप से चलाया जाए तो उसका स्तर बना रह सकता है।जिसकी वजह से दिल्ली विश्व विद्यालय ने जुलाई,1962 में बी, ए कक्षा हेतु एक अचानक योजना के रूप में पत्राचार पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया ।सन 1967 में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने दूसरे विश्व विद्यालय के निर्देशन हेतु पत्राचार ए और कुछ बेरोजगार व्यक्ति अपने नियमित अध्ययन के समय अपने परिवारकी आर्थिक परस्तीथी के कारण पर्याप्त एवम आशानुकूल शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति प्राय कम आवक वाले होते हैं और इसलिए वैसे ही कम जानकारी रखते हुए सामाजिक स्तर पर तथा अपूर्ण और असंतोष जीवन हेतु विवश होते है।शिक्षा किसी भी स्तर पर समाप्त नहीं होती ऐसे अवसरों पर पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा उन्हें अध्ययन के नए विषयों के चुनाव की सुविधा प्रदान करती है।प्रौढ़ एवम अधिक आयु वाले व्यक्ति जो अपनी आयु से कम आयु वाले नव युवक के साथ अध्ययन करने में संकोच का अनुभव

करते हैं,पत्राचार शिक्षा उन्हें सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है।

पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रचलन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण उच्च शिक्षा का महंगा होना है ।

इस प्रकार पत्राचार पाठ्यक्रम से हमारी शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है।भारतीय शिक्षा आयोग (१९६५-६६) ने पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु निम्लिखित सुझाव दिए हैं।

१. जो अंशकालिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो पाने में असमर्थ है ऐसे व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचने हेतु पत्राचार पाठ्यक्रम की विस्तृत व्यवस्था की जानी चाहिए।

२. पत्राचार पाठ्यक्रम को रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रम के साथ समन्वित करके उपयोगी बनाया जाए।

३.शिक्षा मंत्रालय को अन्य मंत्रालय के सहयोग से ऐसे पाठ्यक्रमों को विकसित करना चाहिए जिन्हें पत्राचार शिक्षा द्वारा आरंभ किया जा सकता है जिनकी सुविधा अन्य संगठनों द्वारा नहीं की गई है।शोध कार्यों द्वारा इनका मूल्यांकन भी होना चाहिए।

४.नवीन पाठ्यक्रमों के परीक्षा की सुविधाएं माध्यमिक परिक्षा बोर्डो तथा विश्व विद्यालय द्वारा की जानी चाहिए,जिससे छात्र जब चाहे पत्राचार के माध्यम से पढ़कर परिक्षा में समिलित हो सके ।स्वाध्याय के आधार पर ही छात्र पाठवस्तु का बोध कर सके।

पत्राचार शिक्षा की समस्याएं।

पत्राचार पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अभिप्रेरित किया जाता है परंतु पत्राचार की संस्थाओं को जो अपना प्रथम पाठ भी नही पढ़ पाते है और मध्य में ही पढ़ाई छोड़ देते है उनसे भय रहता है।यह सत्य है कि विद्यार्थी अपनी गति से शिक्षा लेता है

परंतु इसके लिए उच्चस्तरीय अनुशासन की अपेक्षा की जाती है।विद्यार्थी को हमेशा विषेश गृह कार्यों हेतु तैयार नहीं किया जा सकता और वे उपलब्ध शिक्षको की सहायता का लाभ नहीं उठा पाते । विद्यार्थियों को पढ़े हुए विषय की प्रकृति एवम स्वरूप को ग्रहण करने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र पाठ्यपुस्तके सदैव अनुदेश्न और प्रदर्शन हेतु पर्याप्त नहीं है।

यह आवश्यक नहीं है कि अध्ययन की जाने वाले समस्त विषयों को पढ़ने हेतु पर्यवेशक पूर्णतः योग्य हो।वह मात्र सामग्री को एकत्र करता है एवम वितरण करता है विद्यार्थी से पाठ एकत्र करता है परीक्षाओं में पर्यवेक्षण करता है साधारण से प्रश्न का उतर देता है विद्यार्थी की अनुसूची को रखता है।जहा पर योग्य अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं वही विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझने एवम समझने के लिए कम खर्च कर पाठ्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु उसकी सेवाओं से लाभ उठाया जा सकता है।पर्यवेक्षित पत्राचार अनुदेशन का लचीलापन मितव्यी तथा प्रभावशीलता उसके विस्तृत उपयोग की बड़ी संभावना को प्रस्तुत करता है।

संदर्भ-

1 एम, के, मिश्रा एवं वी, पी, शर्मा - भारतीय शिक्षा का विश्वकोश